भारत सरकार

भारत का विधि आयोग

अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की सेवानिवृत्ति आयु - एकरूपता के लिए आवश्यकता

रिपोर्ट सं. 232

अगस्त, 2009

भारत का विधि आयोग

(रिपोर्ट सं. 232)

अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की सेवानिवृत्ति आयु - एकरूपता के लिए आवश्यकता

केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार को डा. न्यायमूर्ति एआर. लक्ष्मणन्, अध्यक्ष, भारत का विधि आयोग द्वारा 22 अगस्त, 2009 को प्रस्तुत की गई ।

18वें विधि आयोग का 1 सितंबर, 2006 से तीन वर्ष की अवधि के लिए भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग, नई दिल्ली के तारीख 16 अक्तूबर, 2006 के आदेश सं. ए-45012/1/2006-प्रशा.III (वि.का.) द्वारा गठन किया गया था ।

विधि आयोग अध्यक्ष, सदस्य-सचिव, एक पूर्णकालिक सदस्य और 7 अंशकालिक सदस्यों से मिलकर बना है ।

अध्यक्ष

माननीय डा. न्यायमूर्ति एआर. लक्ष्मणन्

सदस्य-सचिव

डा. ब्रह्म ए. अग्रवाल

पूर्णकालिक सदस्य

प्रो. डा. ताहिर महमूद

अंशकालिक सदस्य

डा. (श्रीमती) देविन्दर कुमारी रहेजा
डा. के. एन. चंद्रशेखरन पिल्लै
प्रो. (श्रीमती) लक्ष्मी जमभोलकर
श्रीमती कीर्ति सिंह
श्री न्यायमूर्ति आई. वेंकटनारायण
श्री ओ. पी. शर्मा
डा. (श्रीमती) श्यामल्हा पप्पू

विधि आयोग भारतीय विधि संस्थान भवन,
दूसरी मंजिल, भगवान दास रोड,
नई दिल्ली - **110 001** में अवस्थित है

विधि आयोग कर्मचारिवृंद

सदस्य - सचिव

डा. ब्रह्म ए. अग्रवाल

अनुसंधान कर्मचारिवृंद

श्री सुशील कुमार	:	संयुक्त सचिव एवं विधि अधिकारी
श्रीमती पवन शर्मा	:	अपर विधि अधिकारी
श्री जे. टी. सुलक्षण राव	:	अपर विधि अधिकारी
श्री ए. के. उपाध्याय	:	उप विधि अधिकारी
डा. वी. के. सिंह	:	सहायक विधि सलाहकार
डा. आर. एस. श्रीनेत	:	अधीक्षक (विधिक)

प्रशासनिक कर्मचारिवृंद

श्री सुशील कुमार	:	संयुक्त सचिव एवं विधि अधिकारी
श्री डी. चौधरी	:	अवर सचिव
श्री एस. के. बसु	:	अनुभाग अधिकारी
श्रीमती रजनी शर्मा	:	सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी

इस रिपोर्ट का पाठ इंटरनेट पर http://www.lawcommissionofindia.nic.in पर उपलब्ध है

© भारत सरकार
भारत का विधि आयोग

इस दस्तावेज का पाठ (सरकारी चिह्नों को छोड़कर) किसी रूप विधान में या किसी माध्यम से निःशुल्क प्रत्युत्पादित किया जा सकता है परंतु यह कि उसको शुद्ध रूप से प्रत्युत्पादित किया जाए और उसका भ्रामक संदर्भ में उपयोग न किया जाए । इस सामग्री को सरकार के प्रतिलिप्यधिकार के रूप में अभिस्वीकार किया जाना चाहिए और दस्तावेज का नाम विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए ।

इस रिपोर्ट से संबंधित किसी पूछताछ के लिए सदस्य-सचिव को डाक द्वारा भारत का विधि आयोग, दूसरी मंजिल, भारतीय विधि संस्थान भवन, भगवान दास रोड, नई दिल्ली- 110 001, भारत के पते पर पत्र भेजकर या ई-मेल द्वारा : lci-dla@nic.in पर संबोधित किया जाना चाहिए ।

डा. न्यायमूर्ति एआर. लक्ष्मणन्
(भूतपूर्व न्यायाधीश, भारत का उच्चतम न्यायालय)
अध्यक्ष, भारत का विधि आयोग

भा. वि. सं. भवन (दूसरा तल),
भगवान दास रोड,
नई दिल्ली-110001
टेली. : 91-11-23384475
फैक्स : 91-11-23383564

अ.शा.पत्र सं. 6(3)173/2009-वि.आ.(वि.अ.)

22 अगस्त, 2009

प्रिय डा. वीरप्पा मोइली जी,

विषय : अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की सेवानिवृत्ति आयु - एकरूपता के लिए आवश्यकता ।

मैं उपर्युक्त विषय पर भारत के विधि आयोग की 232वीं रिपोर्ट इसके साथ अग्रेषित कर रहा हूं ।

2. यह देखा गया है कि हमारे नागरिकों की दीर्घजीविता या जीवन-प्रत्याशा अब विकसित देशों के लगभग समतुल्य हो गई है और इसलिए इस विषय पर नये प्रस्ताव सेवानिवृत्ति की बढ़ी हुई आयु की परिकल्पना करते हैं, किंतु देश में विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों या सदस्यों की सेवानिवृत्ति आयु विहित करने के लिए स्पष्ट मार्ग-दर्शन की अनुपस्थिति में सरकार के विभिन्न मंत्रालय विभिन्न कसौटियों को अपनाते हैं । देश में कार्य करने वाले विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु नियत करने में अपनाई जा रही पद्धति प्रकट करती है कि विभिन्न सेवानिवृत्ति आयु - सीमाओं को नियत करने में कोई तर्काधार विद्यमान नहीं है ।

3. अतः हम सिफारिश करते हैं कि अध्यक्षों की सेवानिवृत्ति की आयु सभी अधिकरणों के लिए 70 वर्ष पर एकरूपता से नियत की जानी चाहिए । इसी प्रकार सभी अधिकरणों के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष पर एकरूपता से नियत की जानी चाहिए ।

सादर

भवदीय,

ह/-

(डा. न्यायमूर्ति एआर. लक्ष्मणन्)

डा. एम. वीरप्पा मोइली,
केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री,
भारत सरकार,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110001

निवास : संख्या 1, जनपथ, नई दिल्ली 110001. टेलीफोन नं. : 91-11-23019465, 23793488, 23792745
ई-मेल : ch.lc@sb.nic.in

अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की सेवानिवृत्ति आयु - एकरूपता के लिए आवश्यकता

विषय-वस्तु

		पृष्ठ सं.
I :	प्रस्तावना	8-12
II :	सिफारिश	13
परिशिष्ट		14-26

1. प्रस्तावना

1.1 न्यायाधीशों और सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति की सामान्य आयु की तुलना में देश में सरकार द्वारा गठित विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की और विभिन्न क्षेत्रों अर्थात् विश्वविद्यालयों और सरकारी उपक्रमों में कर्मचारियों की भी सेवानिवृत्ति की बढ़ी हुई आयु के लिए उपबंध करने की सधारण प्रवृत्ति है । यह देखा गया है कि हमारे नागरिकों की दीर्घजीविता या जीवन-प्रत्याशा अब विकसित देशों के लगभग समतुल्य हो गई है और इसलिए इस विषय पर नये प्रस्ताव सेवानिवृत्ति की बढ़ी हुई आयु की परिकल्पना करते हैं किंतु देश में विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों या सदस्यों की सेवानिवृत्ति आयु विहित करने के लिए स्पष्ट मार्ग-दर्शन की अनुपस्थिति में सरकार के विभिन्न मंत्रालय विभिन्न कसौटियों को अपनाते हैं ।

1.2 यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि सेवानिवृत्ति की बढ़ी हुई आयु प्रशासनिक और न्यायिक सेवाओं के उच्चतर स्तरों पर विहित की जाती है क्योंकि उनमें कार्य करने वाले व्यक्तियों द्वारा अर्जित किए गए वृत्तिक अनुभव के समाज के कल्याण के लिए पूर्ण रूप से उपयोग किए जाने की आवश्यकता होती है । यह इंगित किया जा सकता है कि सरकार अपने कर्मचारियों के, विशेष रूप से ज्येष्ठ स्तर पर, कार्योन्मुखी प्रशिक्षण में बहुत अधिक व्यय करती है और इसलिए सरकार के कामकाज को चलाने में उनके समृद्ध वृत्तिक अनुभव का सामान्य व्यक्ति की अच्छाई के लिए उपयोग किया जा सकता है । वर्तमान उदारीकृत आर्थिक युग में सरकारी कर्मचारियों द्वारा अर्जित किए गए अनुभव का उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात् बहुत सी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा लाभप्रद रूप से उपयोग किया जा रहा है । ये प्राइवेट उद्यम सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को मोटे वेतन देते हैं क्योंकि सरकार में उनकी सेवा के दौरान अर्जित किए गए उनके मूल्यवान वृत्तिक अनुभव का लाभप्रद रूप से उपयोग किया जाता है । ऐसे परिदृश्य में सरकार को अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सेवाओं का पूर्ण संभव सीमा तक उपयोग करना चाहिए ।

1.3 देश में कार्य करने वाले विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु नियत करने में अपनाई जा रही पद्धति प्रकट करती है कि विभिन्न सेवानिवृत्ति आयु - सीमाओं को नियत करने में कोई तर्काधार विद्यमान नहीं है । अधिकरणों के नामों, उन अधिनियमों को जिनके अधीन वे स्थापित किए गए हैं, उनके अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अपनाई गई पात्रता कसौटी, उनकी सेवा अवधियों और उनकी सेवानिवृत्ति की विभिन्न आयु को दर्शित करने वाला एक चार्ट तैयार किया गया है, जो परिशिष्ट के रूप में है । वहां यह देखा जा सकता है कि न तो सेवानिवृत्ति की आयु में कोई एकरूपता है, न उस प्रयोजन के लिए अपनाई गई कसौटी को न्यायोचित ठहराने वाला कोई युक्तिसंगत कारण संबंधित अधिनियमों में दिया गया है ।

1.4 उच्चतर न्यायपालिका अर्थात् उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्रमशः 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष और 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष करने का प्रश्न सरकार के विभिन्न स्तरों पर गंभीर विचार-विमर्श/विचारण का भी विषय रहा है । बहुत से सरकारी विभागों/शाखाओं, विशिष्ट रूप से शैक्षणिक और वैज्ञानिक/अनुसंधान संस्थानों में सेवानिवृत्ति की आयु में पहले ही वृद्धि कर दी गई है ।

1.5 किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर 62 वर्ष की आयु में उसकी सेवानिवृत्ति पर केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए समान्यतया विचार किया जाता है । 2007 के अधिनियम 1 द्वारा प्रशासनिक अधिकरण अधनियम, 1985 के संशोधन के पश्चात् कोई सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, यदि उसे केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है तो वह उस रूप में 68 वर्ष की आयु तक पद धारण कर सकता है, किंतु यदि उसे न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है तो वह 65 वर्ष की आयु पूरी करने तक पद धारण करता है ।

1.6 विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु क्रमशः 70 और 65 वर्ष तक नियत करने की अनिवार्य आवश्यकता है ।

1.7 यह स्मरण किया जा सकता है कि केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु पहले 55 वर्ष से बढ़ाकर 58 वर्ष ओर तत्पश्चात् 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष की गई थी । उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु को केवल एक बार 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किया गया था और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति आयु प्रारंभ से 65 वर्ष रही है । 62 और 65 वर्ष की आयु पर, क्रमशः सेवानिवृत्त होने वाले उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए विभिन्न अधिकरणों में, जिनमें वे अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियुक्त किए जाते है, सारतः सेवा अवधि होने की आवश्यकता है क्योंकि केवल उस दशा में वे सारवान रूप से प्रणाली में सुधार करने में समर्थ होंगे । यदि किसी पदधारक को किसी अधिकरण में अपना पद ग्रहण करने के 2 - 3 वर्षों के भीतर सेवानिवृत्त होना है तो उस समय, जब तक वह उसके कार्यकरण से पूर्णतया अवगत होता है, वह सेवानिवृत्त हो जाएगा । निश्चित रूप से तब वह अधिकरण के कार्यकरण को आगे बढ़ाने और उसमें सुधार करने के लिए योगदान नहीं कर पाएगा ।

1.8 अधिकरणों में चयन और नियुक्ति के लिए एक निश्चित प्रक्रिया विहित की गई है, जिसमें आवेदनों को आमंत्रित करने में और चयन होने तक व्यय किया गया और तत्पश्चात् विभिन्न स्तरों पर सरकार से अनापत्ति प्राप्त करने तक 6 मास से 1 साल तक का समय है । पिछला अनुभव स्पष्ट रूप से दर्शित करता है कि जब कभी अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता में उच्च न्यायालयों या उच्चतम न्यायालय के पूर्ववर्ती या आसीन न्यायाधीश या ऐसे न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति सम्मिलित होते हैं, तब ऐसे पांच या सात उदाहरणों से अधिक नहीं हो सकते हैं, जहां आसीन न्यायाधीशों ने, अपनी सेवा की अवधि के दौरान अधिकरणों के अध्यक्ष या सदस्य होने के लिए विकल्प का चयन किया है । वे या तो अपनी सेवानिवृत्ति की संध्या पर या अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् ऐसी नियुक्तियों के लिए विचारण चाहते हैं और यदि चयन और नियुक्ति की अवधि

में समय लगेगा तो हो सकता है कि वे दो - ढाई वर्षों से अधिक, जहां सेवानिवृत्ति की आयु 65 या 68 वर्ष है, सेवा न कर सके ।

1.9 परिशिष्ट -'क' का अवलोकन यह दर्शित करेगा कि अधिकांशतः अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए पात्रता उनकी है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश हैं या रहे हैं किंतु विभिन्न अधिकरणों में सेवानिवृत्ति की आयु भिन्न है अर्थात् 65 वर्ष, 67 वर्ष, 68 वर्ष और कुछ में यह 70 वर्ष है । सेवानिवृत्ति की आयु का कोई एकरूप आदेश नहीं है । उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और मुख्य न्यायमूर्तियों की सेवानिवृत्ति की आयु एक ही है अर्थात् 62 वर्ष । यह सुविज्ञात है कि किसी भी स्तर पर न्यायाधीशों द्वारा किए जाने वाले कृत्य और कर्तव्य समान हैं । इस बारे में अत्यधिक विचार-विमर्श पहले से ही होता रहा है कि क्या उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु इस निश्चित कारण से एक होनी चाहिए कि उनके द्वारा किए जाने वाले कृत्य और कर्तव्य एक ही प्रकृति के हैं और इसलिए यदि किसी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है तो वही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में होनी चाहिए । यदि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश या मुख्य न्यायमूर्ति, जो बासठ वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, अधिकरणों में समनुदेशन लेना चाहते हैं, जो, जैसा ऊपर वर्णित किया गया है, उनके द्वारा उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात् लिया जाता है तो अधिकरणों में उनकी कार्य अवधि 2 - 3 वर्ष हो सकती है । स्पष्टतः जब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की किसी अधिकरण में नियुक्ति की जाती है तो उनकी सेवानिवृत्ति की आयु कम से कम 70 वर्ष होनी चाहिए क्योंकि उनकी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्ति की तारीख 65 वर्ष पर होती है । एक दृष्टिकोण यह प्रकट किया गया है कि अध्यक्षों और सदस्यों के लिए, जो न्यायिक धारा से अर्थात् उच्च न्यायालयों अथवा उच्चतम न्यायालय से आते हैं सेवानिवृत्ति की आयु में कोई अंतर नहीं होना चाहिए और वह एकरूप 70 वर्ष होनी

चाहिए । जहां तक सदस्यों का संबंध है एक अंतर किया जा सकता है, जो दूसरा दृष्टिकोण बन सकता है । अधिकरणों में सदस्यों की दो धाराएं होती हैं - न्यायिक और प्रशासनिक । सरकार से सेवानिवृत्ति की आयु, उनकी जो प्रशासनिक धारा में होते हैं 60 वर्ष है और उनकी दशा में अधिकरण के सदस्य के रूप में 5 वर्ष की अवधि पर्याप्त हो सकती है । तथापि सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु में - चाहे वे न्यायिक धारा से आते हैं या प्रशासनिक धारा से, कोई अंतर नहीं किया जा सकता है । उस धारा का ध्यान रखे बिना, सेवानिवृत्ति की आयु एकरूप से नियत की जाने की आवश्यकता है । यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि जबकि न्यायाधीश इतने अधिक हैं, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति कुछ हैं । बहुत से अवसरों पर अध्यक्षों की नियुक्तियों में मुख्य न्यायमूर्तियों या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की उपलब्धता की कमी के कारण प्रतीक्षा करनी पड़ी थी । किंतु जहां तक उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का संबंध है वहां इस प्रकार की कोई समस्या नहीं रही है । इस प्रकार यह समीचीन और उपयुक्त होगा कि अधिकरणों के अध्यक्षों की सेवानिवृत्ति आयु 70 वर्ष पर एकरूप रखी जाए और सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष पर एकरूप रखी जाएगी ।

II. सिफारिश

2.1 यह अनुभव किया जाता है कि अध्यक्षों की सेवानिवृत्ति की आयु एकरूपता से सभी अधिकरणों के लिए 70 वर्ष पर नियत की जानी चाहिए । इसी प्रकार सभी अधिकरणों के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु एकरूपता से 65 वर्ष पर नियत की जानी चाहिए ।

2.2 हम तदनुसार सिफारिश करते हैं ।

ह/-

(डा. न्यायमूर्ति एआर. लक्ष्मणन्)

अध्यक्ष

ह/—

(प्रा. (डा.) ताहिर महमूद)

सदस्य

ह/—

(डा. ब्रह्म ए. अग्रवाल)

सदस्य-सचिव

परिशिष्ट

अधिकरण - अधिनियम	धाराएं	पदाभिधान	पात्रता	सेवा अवधि/ सेवानिवृत्ति आयु
1. प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 के अधीन प्रशासनिक अधिकरण	6 और 8	क) अध्यक्ष	किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है	क) 5 वर्ष उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, परंतु कोई अध्यक्ष 65 वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात् उस रूप में पद धारण नहीं करेगा
		ख) सदस्य	किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या होने के लिए अर्हित हैं या उसने कम से कम 2 वर्ष के लिए विधि कार्य विभाग आदि में सचिव का पद धारण किया है या कम से कम 5 वर्ष के लिए विधि कार्य विभाग आदि में भारत सरकार के अपर सचिव का पद धारण किया है ।	ख) 5 वर्ष उस तारीख से जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, जिसे 5 वर्ष की एक और अवधि तक बढ़ाया जा सकता है, परंतु कोई सदस्य 65 वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात् उस रूप में पद धारण नहीं करेगा
2. कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन अपील अधिकरण	10 एफ आर और 10 एफटी	क) अध्यक्ष	क) उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा है ।	क) 3 वर्ष उस तारीख से जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है ; 3 वर्ष की एक और अवधि के लिए पुनः नियुक्ति का पात्र, परंतु

				कोई अध्यक्ष 70 वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात् उस रूप में पद धारण नहीं करेगा ।
		ख) सदस्य	ख) योग्य, ईमानदार और धारा में उपबंधित रूप में विषयों का, जिनके अंतर्गत विधि है, विशेष ज्ञान रखने वाला कोई व्यक्ति ।	ख) 3 वर्ष उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है ; 3 वर्ष की एक और अवधि के लिए पुनः नियुक्ति का पात्र, परंतु कोई सदस्य 67 वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात् उस रूप में पद धारण नहीं करेगा
3. बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 के अधीन ऋण वसूली अधिकरण	5 और 6	पीठासीन अधिकारी	जिला न्यायाधीश है, या रहा है, या होने के लिए अर्हित है ।	5 वर्ष उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है या जब तक वह 62 वर्ष की आयु पूरी करता है, जो भी पूर्ववर्ती हो ।
4. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन राष्ट्रीय आयोग	20	क) अध्यक्ष	क) उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है, या रहा है ।	क) 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पूर्ववर्ती हो ।

		ख) सदस्य	ख) कोई व्यक्ति जो योग्यता, सत्य निष्ठा और प्रतिष्ठा वाला हो और अन्य बातों के साथ विधि से संबंधित समस्याओं के बारे में कार्रवाई करने का कम से कम दस वर्ष का पर्याप्त ज्ञान और अनुभव रखता हो ।	ख) 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पूर्ववर्ती हो ; कोई सदस्य 70 वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात् उस रूप में पद धारण नहीं करेगा
5. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन राज्य आयोग	16	क) अध्यक्ष	क) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, या रहा है ।	क) 5 वर्ष या 67 वर्ष की आयु तक, जो भी पूर्ववर्ती हो ।
		ख) सदस्य	ख) कोई व्यक्ति, जो योग्यता, सत्य निष्ठा और प्रतिष्ठा वाला हो और अन्य बातों के साथ विधि से संबंधित समस्याओं के बारे में कार्रवाई करने का कम से कम दस वर्ष का पर्याप्त ज्ञान और अनुभव रखता हो ।	ख) 5 वर्ष या 67 वर्ष की आयु तक, जो भी पूर्ववर्ती हो ; कोई सदस्य 5 वर्ष की एक और अवधि के लिए या 67 वर्ष की आयु तक, जो भी पूर्ववर्ती हो, पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा।
6. रुग्ण औद्योगिक कंपनी	5 और 6	क) अध्यक्ष	क) उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या किसी उच्च	क) 5 वर्ष ; पुनः नियुक्ति के लिए पात्र, किंतु 65 वर्ष

(विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के अधीन औद्योगिक और वित्तीय पुर्ननिर्माण अपील प्राधिकरण			न्यायालय का न्यायाधीश है या कम से कम 5 वर्ष तक रहा है ।	की आयु पूरी करने के पश्चात् नहीं ।
		ख) सदस्य	ख) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या जो भारत सरकार के किसी सचिव की पंक्ति से अनिम्न का कोई अधिकारी है या रहा है या जो कम से कम 3 वर्ष तक के लिए बोर्ड का सदस्य है या रहा है ।	ख) 5 वर्ष ; पुनः नियुक्ति के लिए पात्र, किंतु 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् नहीं ।
7. राष्ट्रीय कर अधिकरण अधिनियम, 2005 के अधीन राष्ट्रीय कर अधिकरण	6 और 8	क) अध्यक्ष	क) उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा है ।	क) 5 वर्ष उस तारीख से जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है ; पुनः नियुक्ति के लिए पात्र, परंतु कोई अध्यक्ष 68 वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात् उस रूप में पद धारण नहीं करेगा ।
		ख) सदस्य	ख) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है	ख) 5 वर्ष उस तारीख से जिसको वह अपना पद

			या होने के लिए पात्र है ; या कम से कम 7 वर्ष तक आयकर अपील अधिकरण का या सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क या सेवा कर अपील अधिकरण का सदस्य है या रहा है ।	ग्रहण करता है ; पुनः नियुक्ति के लिए पात्र, परंतु कोई सदस्य 65 वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात् उस रूप में पद धारण नहीं करेगा ।
8. प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के अधीन भारत की प्रेस परिषद्	5 और 6	क) अध्यक्ष	क) किसी समिति द्वारा नाम निर्दिष्ट	क) 03 वर्ष
		ख) सदस्य	ख) विहित प्रक्रिया के अनुसार नामनिर्दिष्ट	ख) 03 वर्ष
9. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन औद्योगिक अधिकरण	7क और 7ग	पीठासीन अधिकारी	किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या कम से कम 3 वर्ष की अवधि के लिए जिला न्यायाधीश या कोई अपर जिला न्यायाधीश रहा है ।	65 वर्ष की आयु पूरी करने तक
10. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण	7 ख और 7ग	पीठासीन अधिकारी	किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है ।	65 वर्ष की आयु पूरी करने तक

11. विद्युत अधिनियम 2003 के अधीन विद्युत अपील अधिकरण	113 और 114	क) अध्यक्ष	क) उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है ।	क) 3 वर्ष उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है ; 3 वर्ष की दूसरी अवधि के लिए पुनः नियुक्ति के लिए पात्र, परंतु कोई अध्यक्ष 70 वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात् उस रूप में पद धारण नहीं करेगा ।
		ख) सदस्य	ख) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, या रहा है या होने के लिए पात्र है या जो कम से कम 1 वर्ष तक आर्थिक कार्यकलापों या मामलों या अवसंरचना के संबंध में कार्रवाई करने वाले केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग में सचिव है या रहा है या योग्यता और प्रतिष्ठा वाला ऐसा व्यक्ति, जो विद्युत जनन, संप्रेषण और वितरण और विनियमन या अर्थशास्त्र, वाणिज्य, विधि अथवा प्रबंध से संबंधित मामलों में कार्रवाई करने	ख) 3 वर्ष उस तारीख से जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है ; 3 वर्ष की दूसरी अवधि के लिए पुनः नियुक्ति के लिए पात्र परंतु कोई सदस्य 65 वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात् उस रूप में पद धारण नहीं करेगा ।

			का पर्याप्त ज्ञान या अनुभव रखता है ।	
12. विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अधीन विदेशी मुद्रा अपील अधिकरण	21 और 22	क) अध्यक्ष	क) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या होने के लिए अर्हित है ।	क) 5 वर्ष उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, परंतु कोई अध्यक्ष 65 वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात् उस रूप में पद धारण नहीं करेगा ।
		ख) सदस्य	ख) जिला न्यायाधीश है या रहा है या होने के लिए अर्हित है ।	ख) 5 वर्ष उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, परंतु कोई सदस्य 62 वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात् उस रूप में पद धारण नहीं करेगा ।
13. राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण अधिनियम, 1995 के अधीन राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण	10 और 12	क) अध्यक्ष	क) उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या कम से कम 2 वर्ष तक उपाध्यक्ष का पद धारण किया है ।	क) 5 वर्ष उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है ; 5 वर्ष की एक दूसरी अवधि के लिए पुनः नियुक्ति के लिए पात्र, परंतु कोई अध्यक्ष 70 वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा ।

		ख) उपाध्यक्ष	ख) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या कम से कम 2 वर्ष तक भारत सरकार के सचिव आदि का पद धारण किया है या कम से कम 3 वर्ष तक सदस्य के रूप में पद धारण किया है ।	ख) 5 वर्ष उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है ; 5 वर्ष की एक दूसरी अवधि के लिए पुनः नियुक्ति के लिए पात्र, परंतु कोई उपाध्यक्ष 65 वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा ।
		ग) न्यायिक सदस्य	ग) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या होने के लिए अर्हित है या भारतीय विधिक सेवा का सदस्य रहा है और उसने उस सेवा की श्रेणी 1 में कम से कम 3 वर्ष तक पद धारण किया है ।	ग) 5 वर्ष उस तारीख से जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है ; 5 वर्ष की एक दूसरी अवधि के लिए पूर्ण नियुक्ति के लिए पात्र, परंतु कोई सदस्य 62 वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा ।
14. प्रतियोगिता अधिनियम, 2002 के अधीन भारत प्रतियोगिता आयोग	8 और 10	क) अध्यक्ष	क) योग्यता, सत्य निष्ठा और प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति, जो उपबंधित क्षेत्रों में, जिनके अंतर्गत विधि और प्रतियोगिता मामले हैं, कम से कम 15 वर्ष का विशेष ज्ञान और वृत्तिक अनुव रखता हो ।	क) 5 वर्ष उस तारीख से जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है ; पुनः नियुक्ति के लिए पात्र, परंतु कोई अध्यक्ष 65 वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा ।

		ख) सदस्य	ख) योग्यता, सत्य निष्ठा और प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति, जो उपबंधित क्षेत्रों में, जिनके अंतर्गत विधि और प्रतियोगिता मामले हैं, कम से कम 15 वर्ष का विशेष ज्ञान और वृत्तिक अनुव रखता हो ।	ख) 5 वर्ष उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है ; पुनः नियुकति के लिए पात्र परंतु कोई सदस्य 62 वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा ।
15. प्रतियोगिता अधिनियम, 2002 के अधीन प्रतियोगिता अपील अधिकरण	53घ और 53च	क) अध्यक्ष	क) उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायामूर्ति है या रहा है ।	(क) 5 वर्ष उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है ; पुनः नियुक्ति के लिए पात्र, परंतु कोई अध्यक्ष 68 वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा ।
		ख) सदस्य	ख) योग्यता, सत्य निष्ठा और प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति, जो उपबंधित क्षेत्रों में, जिनके अंतर्गत विधि और प्रतियोगिता मामले हैं कम से कम 25 वर्ष का विशेष ज्ञान और वृत्तिक अनुव रखता हो ।	ख) 5 वर्ष उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है ; पुनः नियुक्ति के लिए पात्र, परंतु कोई सदस्य 65 वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा ।
16. भारत का दूरसंचार	14 ग और 14	क) अध्यक्ष	क) उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या किसी उच्च	क) 3 वर्ष उस तारीख से, जिसको वह अपना पद

विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के अधीन दूरसंचार विवाद परिनिर्धारण और अपील अधिकरण	घ		न्यायालय का मुख्य न्यायामूर्ति है या रहा है ।	ग्रहण करता है ; परंतु कोई अध्यक्ष 70 वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात् उस रूप में पद धारण नहीं करेगा ।
		ख) सदस्य	ख) कम से कम 2 वर्ष तक भारत सरकार के सचिव, आदि का पद धारण किया है या कोई व्यक्ति, जो प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, उद्योग वाणिज्य या प्रशासन के क्षेत्र में प्रवीण है ।	ख) 3 वर्ष उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है ; परंतु कोई सदस्य 65 वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात् उस रूप में पद धारण नहीं करेगा ।
17. भारत का दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के अधीन भारत का दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण	4 ओर 5	क) अध्यक्ष	क) कोई व्यक्ति, जो दूरसंचार, उद्योग, वित्त, लेखाकर्म, विधि, प्रबंध या उपभोक्ता कार्यकलाप का विशेष ज्ञान और उसमें वृत्तिक अनुभव रखता है ।	क) 3 वर्ष उस तारीख से जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है ; या जब तक वह 65 वर्ष की आयु पूरी करता है ; जो भी पूर्ववर्ती हो ।
		ख) सदस्य	ख) कोई व्यक्ति जो दूरसंचार, उद्योग, वित्त,	क) 3 वर्ष उस तारीख से जिसको वह अपना पद

			लेखाकर्म, विधि, प्रबंध या उपभोक्ता कार्यकलाप का विशेष ज्ञान और उसमें वृत्तिक अनुभव रखता है ।	ग्रहण करता है ; या जब तक वह 65 वर्ष की आयु पूरी करता है ; जो भी पूर्ववर्ती हो ।
18. एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के अधीन एकाधिकार तथा अवरोध व्यापारिक व्यवहार आयोग	5 और 6	क) अध्यक्ष	क) उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या होने के लिए अर्हित है ।	
		ख) सदस्य	ख) योग्यता, सत्य निष्ठा और प्रतिष्ठा वाला कोई व्यक्ति जिसे अर्थशास्त्र, विधि, वाणिज्य, लेखाकर्म, उद्योग, लोक कार्यकलापों या प्रशासन से संबंधित समस्याओं का पर्याप्त ज्ञान या अनुभव है या उसने उनके संबंध में कार्रवाई करने की योग्यता प्रदर्शित की है ।	ख) 5 वर्ष ; पुनः नियुक्ति के लिए पात्र, परंतु कोई सदस्य 10 वर्ष से अधिक की कुल अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात्, जो भी पूर्ववर्ती हों, उस रूप में पद धारण नहीं करेगा ।
19. राष्ट्रीय पर्यावरण अपील	5 और 7	क) अध्यक्ष	क) उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या किसी उच्च	क) 3 वर्ष उस तारीख से जिसको वह अपना पद

प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के अधीन राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण			न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा हे ।	ग्रहण करता है ; पुनः नियुक्ति के लिए पात्र परंतु कोई अध्यक्ष 70 वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा ।
		ख) उपाध्यक्ष	ख) कम से कम 2 वर्ष तक भारत सरकार के सचिव आदि का पद धारण किया है और पर्यावण संबंधी समस्याओं के प्रशासनिक, विधिक, प्रबंधकीय या तकनीकी पहलुओं में विशेषज्ञता या अनुभव रखता है ।	ख) 3 वर्ष उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है ; पुनः नियुक्ति के लिए पात्र, परंतु कोई उपाध्यक्ष 65 वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा ।
		ग) सदस्य	ग) संरक्षण, पर्यावरणीय, प्रबंध, विधि या योजना और विकास से संबंधित क्षेत्रों में वृत्तिक ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखता है ।	ग) 3 वर्ष उस तारीख से जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है ; पुनः नियुक्ति के लिए पात्र, परंतु कोई सदस्य 65 वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा ।
20. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992	15ड अर 15 ढ	क) पीठासीन अधिकारी	क) उच्चतम न्यायालय का असीन या सेवानिवृत्त न्यायाधीश है या किसी उच्च न्यायालय का आसीन	क) 5 वर्ष उस तारीख से, जिसको वह पद ग्रहण करता है ; पुनः नियुक्ति के लिए पात्र, परंतु कोई

के अधीन प्रतिभूति अपील अधिकरण			या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति है ।	व्यक्ति 68 वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात् पीठासीन अधिकारी के रूप में पद धारण नहीं करेगा ।
		ख) सदस्य	ख) योग्यता, सत्य निष्ठा और प्रतिष्ठा वाला कोई व्यक्ति, जिसने प्रतिभूति बाजार से संबंधित समस्याओं के बारे में कार्रवाई करने की योग्यता दर्शित की है और वह कंपनी विधि आदि में अर्हता और अनुभव रखता है ।	ख) 5 वर्ष उस तारीख से, जिसको वह पद ग्रहण करता है ; पुनः नियुक्ति के लिए पात्र, परंतु कोई व्यक्ति 62 वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात् सदस्य के रूप में पद धारण नहीं करेगा ।
21. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन केंद्रीय सूचना आयोग	12 और 13	क) मुख्य सूचना आयुक्त	विधि आदि में विस्तृत ज्ञान और अनुभव के साथ सार्वजनिक जीवन में ख्याति प्राप्त व्यक्ति	5 वर्ष उस तारीख से जिसको वह पद ग्रहण करता है ; किंतु 68 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् नहीं ।
		ख) केंद्रीय सूचना आयुक्त		